न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 2/13 अपील नामान्तरण

उनवान

1–सुन्दर पुत्री लेहरू जाट निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2–धापू पुत्री लेहरू जाट निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3–शांति पुत्री लेहरू जाट निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1–सुखलाल आत्मज लेहरू जाट निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित
1 – फारूख मोहम्मद **अधिवक्ता अपीलार्थी**

निर्णय

दिनांक 27.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नाथडियास मे पेश हुई। अपिल का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे कालु, लेहरू आत्मज किशना, नानु आत्मज धुकल जाट के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 326, 327, 800, 801, 808, 810, 802, 942/2, 957, 958, 998/2, 1001, 214, 215, 229, 211/1 कुल किता 16 कुल रकबा 35 बीघा 1 बिस्वा भूमि खाता संख्या 45 पर स्थित थी, जिसमें लेहरू आत्मज किशना का 1/4 हिस्सा निहीत था, इसी प्रकार ग्राम नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे कालु, लेहरू आत्मज किशना, नानु आत्मज धुकल व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या– 978, 983, 985, 986, 987, 989 कुल किता 6 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि खाता संख्या 304 पर स्थित थी। उक्त आराजियात में लेहरू आत्मज किशना का 1/16 हिस्सा निहीत था। इसी प्रकार ग्राम नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे लेहरू आत्मज किशना जाट के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 429/6 रकबा 3 बिस्वा भूमि खाता संख्या 377 पर स्थित है। खातेदार लेहरू आत्मज किशना जाट का स्वर्गवास हो चुका है तदुपरान्त विरासत का नामान्तरण संख्या– 957 ग्राम पंचायत नाथडियास द्वारा केवल मात्र सुखलाल आत्मज लैहरू जाट के नाम पर ही खोला गया जब कि मृतक खातेदार लेहरू जी की हम अपिलान्ट प्रथम श्रेणी की वारिस होकर मृतक लेहरू जी की जायन्ता पुत्रियां है। जिससे मृतक खातेदार लेहरू की समस्त चल एवं अचल सम्पति मे हम अपीलान्टस का 3/4 हिस्सा बनता है लेकिन ग्राम पंचायत नाथडियास ने केवल मात्र सुखलाल आत्मज लेहरू के नाम पर नामान्तरण गलत रूप से फैसल किया है। जिससे वयथीत होकर हम अपीलान्टस यह अपील निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है :–

उक्त नामान्तरण आदेश अधिनस्थ पंचायत सर्वथा खिलाफ कानुन एवं वाकेयात के होने से काबिल खारिजी के है। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

लेहरू जी

सुखलाल पुत्र	सुन्दर पुत्री	धापु पुत्री	शांति पुत्री

उपरोक्त सजरेनुसार मुतक खातेदार लेहरू के 1 पुत्र सुखलाल व 3 पुत्रियां – मु0 सुन्दर, मु0 धापु, मु0 शांति हम अपीलान्टस है। जिसमें मुतक लेहरू की सम्पतियों मे हम अपीलान्टस कर संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व हक

बनता है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत हम अपीलान्टस मृतक खातेदार लेहरू की जायन्दा पुत्रियां होने से लेहरू की सम्पति मे हम अपीलान्टस का 3/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अधिनस्थ पंचायत ने उक्त नामान्तरण आदेश पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार लेहरू के कानुनी वारिसान की कोई जांच व जानकारी नही की है। हम अपीलान्टस मृतक लेहरू की जायन्दा पुत्रियां होकर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है एवं वादग्रस्त आराजियात मे हम अपीलान्टस का मृतक लेहरू के हिस्से की आराजियात मे 3/4 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजियात पर हम अपीलान्टस का अपने जन्म से लगा कर आज दिन तक कानुनी सह काश्तकार की हैसियत से काबिज चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पति है और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत हम अपीलान्टस का वादग्रस्त आराजियात मे कानुनी रूप से हक व हिस्सा निहीत है। अधिनस्थ पंचायत ने हम अपीलान्टस को बिना कोई नोटिस जारी किये तथा बिना हम अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये ही उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती के है। अधिनस्थ पंचायत ने नैसैर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का हनन किया है। अधिनस्थ पंचायत ने वादग्रस्त आराजियात के मौके पर कब्जे बाबत कोई जांच, जानकारी नही की है। अधिनस्थ पंचायत ने अत्यधिक जल्दबाजी मे कानुनी प्रकिया अपनाये बिना हि उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती के हैं। ग्राम नाथडियास तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हो जाने से साबिक खाता संख्या 45 में अंकित आराजियात किता 16 कुल रकबा 35 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खाता संख्या 203 मे अंकित आराजियात किता 17 कुल रकबा 4.89 है0 कायम किये गये है। इसी प्रकार साबिक खाता संख्या 377 मे अंकित आराजियात 429/6 रकबा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर – 1898 रकबा 0.03 है0 खाता संख्या 597 पर कायम किये गये तथा साबिक खाता संख्या 304 मे अंकित आराजियात किता 6 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा के नवीन आराजियात किता 14 कुल रकबा 2.64 है0 खाता संख्या 419 पर कायम किये गये है। उक्त नामान्तरकरण आदेश हम अपीलान्टस की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है। जिसको सर्वप्रथम बार जानकारी दिनांक : 13.09.2013 को हम अपीलान्टस पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकले प्राप्त करने हेतु गई तो पटवारी हल्का ने हम अपिलान्ट को बताया कि लेहरू की विरासत का नामान्तरकरण तुम्हारे तीनो बहिनो के नाम पंर नही खुला है, जिस पर हमने पटवारी हल्का से जमाबंदियो की नकले प्राप्त की व तहसील रायपुर मे अन्य आवश्यक नकले निकलवाने हेतु आवेदन किया। जिससे हम अपीलान्टस को जानकारी हुई कि नामान्तरकरण संख्या 957 अपीलान्टस के नाम पर फैसल नही होकर तन्हा सुखलाल के नाम ही खुला है जिससे हम अपीलान्टस को दिनांक : 4.6.89 से दिनांक : 13.9.2013 तक का समय जानकारी के अभाव मे मुजरा दिलाते हुए अपील को अन्दर अवधि शुमार फरमाई जाना आवश्यक है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय़ शपथ पत्र के अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। लेहरू जी के वारिसान हम अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सुखलाल ही है और विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 957 गलत रूप से केवल मात्र सुखलाल के नाम पर ही खोला गया है जिससे उसे पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.09.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे भी नोटिस जारी किये गये जिसमे अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी द्वारा निर्णित ग्राम नाथड़ियास का नामान्तरण संख्या 957 दिनांक 04.06.1989 को निरस्त किया जाकर नये सिरे से नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष मे फैसल किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार रायपुर को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपिलार्थी अपनी अपील को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण अपिलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी द्वारा निर्णित ग्राम नाथड़ियास का नामान्तरण संख्या 957 दिनांक 04.06.1989 को निरस्त किया जाकर नये सिरे से नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष मे फैसल किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार रायपुर को रिमाण्ड किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को प्रेषित की जावे। तहसीलदार रायपुर विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करे। पत्रावली बाद दाखला निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा